E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2023; 5(1): 95-96
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 18-10-2022
Accepted: 25-12-2022

निरंजन कुमार भारती
शोध छात्र स्नातकोत्तर
राजनीति विज्ञान विभाग
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
निरंजन कुमार भारती
शोध छात्र स्नातकोत्तर
राजनीति विज्ञान विभाग
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी

निरंजन कुमार भारती

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2023.v5.i1b.207

प्रस्तावना

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सम्भवतः प्रागैतिहासिक काल में भी रही है। मातृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में कवीले की मुखिया महिलायें रही हैं। आज भी कुछ आदिवासी समाज में स्त्रियों की प्रमुखता परिवार में देखी जा सकती है। वैदिक सभ्यता पुरूष–प्रधान रही है, पर स्त्रियों के शासकीय सेनानी, राज्य–सलाहकार या मंत्राणी, विदुषी, समाज–नेत्री, पुरोहित आदि सभी रूपों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है।

भारत में सामाजिक पुनर्जागरण काल और राजनीतिक चेतना का विकास साथ–साथ मानने पर पाते है कि सामाजिक पुनर्जागरण और नारी का मुक्ति–संघर्ष 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में एक साथ तब यह हुआ, जब बंगाल में ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय, बंबई में प्रार्थना–समाज के संस्थापक श्री महादेव गोविंद रानाडे और उत्तर पश्चिम भारत में आर्य–समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद ने अपने सामाजिक सुधारों में स्त्री–उत्थान में कार्य को प्रमुख स्थान दिया।

1857 में भारत के पहले बड़े स्वतंत्रता–संग्राम और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद सामाजिक सुधार और राजनीतिक चेतना की यह मिली–जुली प्रवृति साथ–साथ आगे बढ़ी। कांग्रेस के जन्मकाल से ही स्त्रियाँ किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका अदा करती आई हैं। सामाजिक संस्थाएँ और महिला–संगठन उनमें राजनीतिक जागृति लाने में सहायक रहे हैं, किन्तु इसे महिलाओं का राजनीति में सीधे प्रवेश नहीं कहा जा सकता है।

राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का वास्तविक पदार्पण बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से ही माना जा सकता है। बीसवीं सदी के प्रथम दशक में कांग्रेस के स्वदेशी आन्दोलन में महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और दूसरे दशक में वे सीधे राजनीतिक क्षेत्र में उतर पड़ी। महान आयरिश महिला श्रीमती एनी–बेसेंट, जिन्होंने भारत को अपना घर और स्वयं को भारतीय महिला कहा, 1913 में राजनीतिक क्षेत्र में एक कर्मठ कार्यकर्ता कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनीं। देश के राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय महिलाओं के सक्रिय योगदान की दिशा में यह पहला कदम था। इसके पूर्व श्रीमती वेसेंन्ट ने मार्गेट कर्जिल तथा श्रीमती मार्गेट नोबल (सिस्टर निवेदिता) के साथ मिलकर 'वेकअप इंडिया' नाम के आन्दोलन का सूत्रपात किया था, जो बाद में 'होमरूल लांग' में परिणत हो गया।

1917 का वर्ष भारतीय नारी की वर्तमान राजीतिक भूमिका में पहला महत्वपूर्ण वर्ष था, जिसमें महिलाओं ने एक साथ कई दिशाओं में कदम रखे। स्त्रियों को पुरूषों के समान मतधिकार की मांग उठाई गई। 18 दिसम्बर 1917 को श्रीमती सरोजनी नायडू के नेतृत्व में 14 प्रमुख महिलाओं का शिष्टमंडल श्री मांटेग्यू, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड से मिला। यह घटना महिलाओं में जागृति की ही नहीं, दृढ़ता के साथ राजनीतिक क्षेत्र में स्वयं आगे बढ़कर सक्रिय भाग लेने की भी प्रतीक थी।

महिलाओं की सामाजिक निर्योग्यताओं की आड़ में यद्यपि 'माउंट फोर्ड रिफार्म्स स्कीम' के अनुसार, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस समय भारतीय स्त्रियों को मत देने का अधिकार नहीं प्रदान किया, किन्तु उसे प्रान्तीय विधानसभाओं को यह अधिकार दे दिया कि वे इस मामले पर विचार कर सकती है। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं को चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हुआ और सीमित रूप में मत देने का भी।

सर्वप्रथम 1919 में मद्रास विधान परिषद ने महिलाओं को सीमित मताधिकार प्रदान किया। 1926 तक सभी प्रान्तों में स्त्रियों को उन्हीं भार्तों पर मत देने का अधिकार मिल गया, जो कि उन प्रान्तों में पुरूषों के लिए लागू थी। 1926 में तत्कालीन भारत सरकार ने एक कदम और उठाया–महिलाओं को प्रान्तीय विधान–सभाओं के चुनाव लड़ने का अधिकार भी प्रदान कर दिया।

पहली बार श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय दक्षिण कनारा क्षेत्र से चुनाव लड़ी, उस समय 4976 वोटों के मुकाबले में 4461 मत प्राप्त कर चुनाव हार गई, लेकिन हार का अन्तर कम होने के फलस्वरूप उस समय में महिलाओं की एक महान नैतिक विजय मानी गयी। मद्रास सरकार पर दवाब पड़ा। मनोनयन के आधार पर डॉ. मुथुलक्ष्मी रेड्डी को पहली महिला विधायक के रूप में चुना गया और फिर वे विधान सभा का उपाध्यक्ष भी चुन ली गई।

1927 में स्थापित गैर राजीतिक संगठन ऑल इंडिया वूमेंस कॉन्फ्रेंस ने स्त्रियों में सामाजिक सुधारों के साथ, राजनीतिक जागृति लाने की दिशा में महिलाओं के समान अधिकारों के लिए जमकर संघर्ष किया और सफलताएँ भी प्राप्त की।

1930 में 'नमक सत्याग्रह' के समय गाँधी जी के आह्वान पर हजारों की संख्या में स्त्रियाँ भाग ली। गाँधी जी की गिरफ्तारी के साथ–साथ श्रीमती सरोजनी नायडू, कमलादेवी चट्टोपाध्याय, रूक्मिणी लक्ष्मीपति ने सत्याग्रह का नेतृत्व संभाल लिया। महिलाएँ लाठियाँ, गोलियाँ खाने और जेल जाने को तैयार हो गई। 1930 के इस आन्दोलन में 17 हजार महिलाएँ गिरफ्तार हुई थी। डॉ. मधुलक्ष्मी ने मद्रास विधानसभा की सदस्यता से और श्रीमती कमलाबाई लक्ष्मण राव तथा श्रीमती हंसा मेहता ने अवैतनिक न्यायाधीशों के पदों से त्यागपत्र देकर अपना विरोध प्रकट किया। 1932 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन और 1942 में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन में भी महिलाएँ बढ़–चढ़ करप भाग ली, गिरफ्तारी दे जेल की यातनाएँ सही। आजादी की इस आखरी लड़ाई में भी हजारों स्त्रियों ने हिस्सा लिया था।

उक्त आन्दोलनों में भाग लेने के साथ–साथ वैधानिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने सशक्त भागीदारी निभाई। 1927 के 'कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल' महिला परिषद के प्रतिनिधित्व ने' बिना लिंग भेदभाव के, समान अधिकार व समान कर्तव्य' की धारा जोड़ने पर बल दिया। पहली राउंड टेबुल कॉन्फ्रेंस' में महिला मतदाता संख्या में वृद्धि करने की मांग महिला प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया।

1937 में 6 प्रांतों में काँग्रेस मंत्रिमंडल बनी। कुल 80 महिलाएँ विधानसभाओं में चुनकर गई थी। मंत्री और उपाध्यक्ष का पद भी महिलाओं को मिला। इस संख्या का उस समय विश्व में तीसरा स्थान था।

संविधान निर्माण में भी, लीला रे, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, हँसता मेहता, दुर्गाबाई, सुचिता कृपलानी, रेणुका रे, कमला चौधरी, अम्मू स्वामीनाथन, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी की भागीदारी उल्लेखनीय है, फलस्वरूप भारत के संविधान में स्त्री पुरूषों को समान अधिकार का आश्वासन दिया गया।

आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री के पद पर श्रीमती इंदिरा गाँधी का आरूढ़ होना स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। केन्द्रीय केबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री, उपमंत्री और राज्यपाल व राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में तो अबतक इतने महिला नाम सामने आ चुके हैं कि उन्हें गिनाना संभव नहीं। वर्तमान में देश की रक्षामंत्री, देश के विदेशमंत्री का महिला होना महिलाओं की राजनीति में सशक्त भागीदारी का सबल पक्ष है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आज शिक्षा ज्ञान–विज्ञान, व्यवसाय एवं प्रशासन के क्षेत्र में जिस अनुपात में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, राजनीति में उसी तरह आगे नहीं आई, यद्यपि ब्रिटेन, अमरीका, जापान जैसे उन्नत देशों की तुलना में इस क्षेत्र में भारतीय स्त्रियों की सिथति अच्छी है। फिर भी लोकसभा और विधान सभाओं में महिला प्रतिनिधित्व अभी चार से बारह प्रतिशत के बीच ही आगे पीछे होता रहा, बढ़ा नहीं। 48 प्रतिशत महिला मतदाता संख्या है और महिलाओं की यह प्रतिनिधित्व की स्थिति सचमुच चिंतनीय रही है।

21वीं सदी की महिलायें प्रेम, दया, करूणा की देवी होने के साथ महत्वाकांक्षी, स्वाभिमानी, दूरदर्शी तथा सफल योद्धा स्वरूप हैं, अपनी इन्हीं असीम क्षमताओं से लबरेज महिलाएँ हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, खेल के क्षेत्र में एवं ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा देखी जा रही हैं, लेकिन राजनीति की मुख्य धारा में अपनी योग्यता से महिलाओं को आगे बढ़ने की जरूरत महसूस की जा रही है।

राजनीतिक पार्टियों के संगठन या सत्ता के भीर्श पर महिलाओं की सहभागिता की आवश्यकता है, इन परिस्थितियों के मद्देनजर आज के संदर्भ में महिलाओं को राजनीति में सम्मानित स्थान दिलाने के लिए तथा उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए आरक्षण एक बेहतर जरिया हो सकता हैं। इसलिए कि हमें यह देखना होगा कि किस वजह से महिलाएँ उतनी अधिकता से राजनीति में अपनी भागीदारी व सामाजिक संकट आते हैं। जैसे कि घरेलू हिंसा, सुरक्षा मँहगाई आदि के इन सभी कारणों से महिलाएँ ही प्रभावित होती हैं। गृहिणी महिलाओं को तो बच्चों से लेकर बुजूर्गों तक देखभाल, घर की सफाई, कपडे धोने, बर्तन साफ करने, पानी की किल्लतें, जैसी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त रहना पड़ता है। मँहगाई, जातिगत व लिंग भेदभाव, दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा तथा असुरक्षा की मार महिलाओं को हमारे समाज में पुरूषों के मुकाबले ज्यादा सहनी पड़ती है।

यहाँ समस्याओं को गिनाने का मतलब है कि इन सबका निदान करते हुए भारतीय महिलाएँ राजनीतिक दस्तक देने में पीछे नहीं रहती है। आरक्षण का जिक्र इसलिए जरूरी है कि स्थानीय निकायों में 73वाँ संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिया गया 33 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक रूप से स्थानीय स्तर पर महिलाओं की भागीदारी को रेखांकित किया जा सकता है।

भारतीय राजनीति में महिलाओं की सशक्त भागीदारी ने एक राजनीतिक दबाव का भी एहसास कराया है फलस्वरूप भारतीय कैबिनेट ने पंचायत में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण पर सहमति जाता दी है।

बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश में पहले से ही पंचायत में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण है। राजस्थान ने भी इसकी घोषणा की है। बिहार पहला राज्य है जहाँ पंचायत में 2006 से ही 50 फीसदी आरक्षण है। 1,33,000 महिलाएँ पंचायत, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व कर रही हैं, यह ऐतिहासिक बदलाव है यह सिलसिला गाँव से राज्य और केन्द्र तक पहुँचेगा। स्थानीय निकायों से प्रशिक्षित, दक्ष एवं क्षमतावान महिलाएँ राज्य एवं केन्द्र स्तर तक भविष्य में नेतृत्व देने को अवश्य निकल सकेगी। यह भारतीय लोकतंत्र की मजबूती में मील का पत्थर भी साबित होगा।

स्रोत ग्रंथ

1. भारत में पंचायती राज, प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रभात प्रकाशन, अरूणा आसफ अली रोड, नयी दिल्ली।
2. बिहार में ग्राम पंचायत, राजेन्द्र प्रसाद सिंह, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना।
3. राजनीतिक नेतृत्व, डॉ. रवीन्द्र कुमार वर्मा, वही।
4. बिहार में ग्राम पंचायत एवं सुशासन, सं. डॉ. सीताराम सिंह, वही।
5. निर्वाचन और राजनीति, डॉ. विश्वनाथ प्रसाद वर्मा, वही।